"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2009—कार्तिक 9, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/32/2009/वाक/पांच (40).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2005/वाक/पांच (41) दिनांक 01-09-2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में अंकों एवं शब्दों "1 नवंबर, 2004 या इसके पश्चात्" के बाद अंकों एवं शब्दों "किंतु 31 अक्टूबर, 2009 या इसके पूर्व" को जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ-10/32/2009/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2009/वाक/पांच (40), दिनांक 31-10-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 31st October 2009

NOTIFICATION

No. F-10/32/2009/CT/V (40).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10-28/2005/CT/V (41) dated 01-09-2005 :—

AMENDMENT

In last para of the said notification after the figures & words "on or after 1st November 2004" the figures & words "but on or before 31st October, 2009" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.